

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2157/2020

दिनांक 24.11.2020

श्री देवेन्द्र जोशी (RJ0047), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को दिनांक 31.10.2020 से 12.11.2020 तक 13 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 30.10.2020 एवं 13.11.2020 से 16.11.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री जोशी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
रजिस्ट्रार (स्वर्गीकरण)
24/11/2020

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/13/1990/ 5256

दिनांक : 24.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 9437 दिनांक 17.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्री देवेन्द्र जोशी (RJ0047), जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, बालोतरा ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।

सहायक रजिस्ट्रार